वित्तीय बैंक प्रकरण सं0 22/2019 (RCMS 2019/00040) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री राजेश कुमार मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, शाखा रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरविलास निवासी कमान नं 121, वार्ड नं 05, वेयर हाउस के पास, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 2. श्री हरविलास पुत्र श्री मिल्खी राम निवासी मकान नंत्र 121, वार्ड नं. 05, वेयर हाउस के पास, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

03.04.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्त उपस्थित है। गत पेशी दिनांक 25.02.2019 पर उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण श्री नरेश कुमार एवं श्री हरविलास को ऋण सुविधा के रूप में 4.50 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पच्चास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 21.03.2017 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री हरविलास का प्लॉट नं. 02/05, वार्ड नं 5, कच्ची बस्ती, रायसिंहनगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 09.05.2018 को 4,58,663/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.05.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों श्री नरेश कुमार एवं श्री हरविलास द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री हरविलास की उक्त अचल सम्पति प्लॉट नं. 02/05, वार्ड नं 5, कच्ची बस्ती, रायसिंहनगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी श्री नरेश कुमार एवं श्री हरविलास को 4.50/— लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पच्चास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री हरविलास द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 02/05, वार्ड नं 5, कच्ची बस्ती, रायसिंहनगर (919.87 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवंम शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.05.2018 भिजवाये गये।** श्री नरेश कुमार एवं श्री हरविलास को धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस वितरण के फलस्वरूप Supdt. of Post, Sriganganagar के पत्रांक 26027 एवं 26040 दिनांक 23.01.2019 की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार श्री नरेश कुमार एवं श्री हरविलास को उक्त धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 11.05.2018 को तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तॉमील के **बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैक** की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** प्लॉट नं. 02/05, वार्ड नं 5, कच्ची बस्ती, रायसिंहनगर (919.87 वर्गफुट) **जो ऋणी श्री हरविलास के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.05.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 09.05.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण श्री नरेश कुमार एवं श्री हरविलास के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप Supdt. of Post, Sriganganagar के पत्रांक 26027 एवं 26040 दिनांक 23.01.2019 की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री हरविलास पुत्र मिल्खीराम द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, जरिये रजेश कुमार मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, शाखा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 02/05, वार्ड नं 5, कच्ची बस्ती, रायसिंहनगर (919.87 वर्गफुट) जो कि ऋणी श्री हरविलास पुत्र श्री मिल्खीराम के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर